फर्द अहकाम

(नियम (२०))

अज अदालत ......उपखण्ड अधिकारी...... सिकराय ..(दौसा)..........

हरिशंकर सरकार बनाम ....प्रभाती.........

किस्म मुकदमा ....188 RTA.........मु० नं०.....115/2014..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-4-21	पत्रावली निर्णय हेतु पेशी में ली गयी। उभय पक्ष की बहस के तथ्यों पर गौर किया गया। वादीगण हरिशंकर वगैरह ने ग्राम गांगदवाड़ी के खाता सं. 127/77 की भूमि पर निर्मित दुकानों बाबत प्रति सं. 1 ता 8 के विरुद्ध कब्जा नहीं करने व व्यवधान नहीं पैदा करने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा है। वादीगण ने वाद के साथ संलग्न दस्तावेजों के साथ भू प्रबंध विभाग की मौका रिपोर्ट दि. 4.2.13 भी पेश की है। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा दि. 2.3.15 को पेश कर दुकानें वादीगण की भूमि के बजाय ख.नं. 911/422 में होने व पत्रावली बेबुनियाद से खारिज करने का कथन किया है। दि. 26.11.19 को तनकीह बनाकर विवाधित की गयी व पुनः 10.12.19 को विरचित की गयी। साक्ष्य प्रतिवादी में महेश मीणा व भारत मीणा के शपथ पत्र पेश किये गये जिनसे जिरह वादी अधिवक्ता ने की। वाद का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:- तनकी सं. 1 → आया वादीगण प्रति सं. 1 ता 8 को वाद की मद सं. 2 में वर्णित भूमि बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से कब्जा नहीं करने व अवैध निर्माण नहीं करने बाबत पाबंद करवाने का अधिकारी है — वादीगण तनकी सं. 2 तनकी 1 व 2 एक दूसरे से जुड़ी होने के कारण एक साथ विवेचन किया जा रहा है। वादीगण ने अपने समर्थन में भू प्रबंध विभाग की पैमाइश रिपोर्ट दि. 4.2.13 पेश कर प्रश्नगत भूमि अपनी खातेदारी भूमि में स्थित होने का तर्क किया। रिपोर्ट में ख.नं. 417, 418 व 422 की सीमाओं का निर्धारण कर सीमाज्ञान नक्शा उभय पक्षों की मौजूदगी में बनाया गया। प्रतिवादीगण का तर्क रहा कि हाल सैटलमेंट द्वारा बनाये नक्शे में वादीगण की भूमि सड़क सीमा से दूर है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भू प्रबंध विभाग की	

मौका पैमाइश रिपोर्ट जो कि मौका स्थिति अनुसार है व उसी अनुरूप वादीगण का कब्जा व निर्माण रहा है, जबकि वर्तमान भू प्रबंध ने उक्त नक्शा स्थिति में प्रथम दृष्टया परिवर्तन किया है।

(हस्ताक्षर) (रणजीतसिंह)

— लगातार...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हरिशंकर उनवान सरकार बनाम ..प्रभाती.......................... 188 RTA

मुकदमा नं० .... निर्णय दि0....5-4-21

अत: ये दोनो तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 3 → नीम वाली दुकानें प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि में स्थित है इसलिये वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ← प्रतिवादीगण

प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन में खसरा नक्शा व शपथ पत्र पेश किये हैं।

तनकी 1 व 2 के विवेचन से स्पष्ट है कि खसरा नक्शा में भूप्रबंध मौका नक्शा दि. 4.2.13 में परस्पर भिन्नता है।

अत: यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 4 तनकी सं. 3 का ही पूरक है इसलिये अलग से विवेचना की आवश्यकता नहीं है।

आदेश

वाद वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 ता 8 को वादीगण की [illegible] भूमि में किसी प्रकार व्यवधान पैदा नहीं करने की बावत पाबंद किया जाता है।

उभय पक्ष मौजूदा नक्शे में आवश्यक शुद्धि हेतु वाद लाने बावत स्वतंत्र हैं।

(रणजीत सिंह)
5-4-21
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा